बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

संकल्प

विषयः— **मूल्यांकन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य मूल्यांकन समिति का पुनर्गठन ।**

राज्य में विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1129 दिनांक 21.04.99 द्वारा राज्य मूल्यांकन समिति गठित है । संकल्प के निर्गत होने के पश्चात राज्य के प्रशासनिक तंत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं । अतएव राज्य मूल्यांकन समिति को राज्य सरकार ने निम्नरूपेण पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है :—

1. उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद —	अध्यक्ष
2. विकास आयुक्त —	उपाध्यक्ष
3. वित्त आयुक्त—	सदस्य
4. प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग—	सदस्य सचिव
5. प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग—	सदस्य
6. प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग—	सदस्य
7. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग—	सदस्य
8. सलाहकार, मूल्यांकन प्रभाग, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली—	सदस्य
9. निदेशक, ए0एन0 सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना —	सदस्य
10. निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, पटना—	सदस्य

2. इस समिति के निम्नांकित कार्य होंगे :—

क— विभिन्न विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु परियोजनाओं/कार्यक्रमों का चयन करना ।

ख– चयनित परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के मूल्यांकन की विधि इत्यादि तय करना ।

ग– मूल्यांकन प्रतिवेदनों का परीक्षण एवं अनुमोदन करना ।

घ– अनुमोदित मूल्यांकन प्रतिवेदनों में अंकित सुझावों तथा अनुशंसाओं पर सम्बद्ध विभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई कराना ।

3. समिति को सचिवालयीय सहायता बिहार राज्य योजना पर्षद से प्राप्त होगी तथा इसका मुख्यालय पटना में रहेगा ।

4. समिति अपनी कार्यविधि स्वयं तय करेगी । समिति के सहायतार्थ एक विशेषज्ञ समिति होगी । इसके अतिरिक्त समिति आवश्यकतानुसार उप समितियाँ अथवा तकनीकी परामर्शदातृ समिति गठित कर सकेगी ।

5. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यानी विकास आयुक्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे ।

6. समिति अपनी बैठकों में भाग लेने हेतु अन्य किसी पदाधिकारी अथवा विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगी ।

7. समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार अथवा उसके पूर्व जब भी आवश्यक हो होगी ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियाँ राज्य सकरार के सभी विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/सम्बद्ध सदस्यों को प्रसारित की जाय तथा इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित भी किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(रामेश्वर सिंह)

सरकार के सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः योo5/विविध–49/07–4210 /योoवि, पटना दिनांक 28 दिसम्बर,07

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशानार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे इस संकल्प की 200 मुद्रित प्रतियाँ निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्षद, बिहार, पटना को कृपया उपलब्ध करा दें ।

ह0/–

सचिव

ज्ञापांकः योo5/विविध–49/07–4210 /योoवि, पटना दिनांक 28 दिसम्बर,07

प्रतिलिपिः माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद के सचिव/समिति के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

सचिव

ज्ञापांकः योo5/विविध–49/07–4210 /योoवि, पटना दिनांक 28 दिसम्बर,07

प्रतिलिपिः सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

सचिव